जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 27/2018 (RCMS 2018/00036) गृह फाईनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय गृह नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ता के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद व स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लैबोरेट्री श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री पवन सिंह शेखावत पुत्र श्री बंशी सिंह निवासी 357 पुरानी आबादी वार्ड नं 11, महिला पार्क के पास, श्रीगंगानगर 2. श्रीमती सुमिता शेखावत पत्नी श्री पवन सिंह शेखवत निवासी 357 पुरानी आबादी, वार्ड नं. 11, महिला पार्क के पास, श्रीगंगानगर 3. श्री रामावतार सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह निवासी 25, देवनगर वार्ड नं 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 4. श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री विद्याधर शर्मा निवासी वार्ड नं 11, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता संजीव गुप्ता उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई, एंवम पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन है कि Ministry of Finance (Departmnet of Economic Affairs) (Banking Division) Notification New Delhi, the 10th November , 2003 के क्रम संख्या 11 पर प्रार्थी कम्पनी –GRUH Finance Limited, Ahmedabad का नाम अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है जिसके तहत प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण पवन सिंह शेखावत एवं श्रीमती सुमिता शेखावत को ऋण सुविधा के रूप में 5,50,000 दिनांक 25.06.2013 को, 3,30,000 दिनांक 13.02.2016 को एवं 6,70,000 दिनांक 13.04.2016 को कुल 15,50,000/–रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्रीमती सुमिता शेखावत पत्नी पवन सिंह शेखावत द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान अहाता नं. 357, महिला पार्क, पुरानी अबाादी श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 18.01.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 29.09.2017 को 15,93,143/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 29.09.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया ।

धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री पवन सिंह शेखावत, श्रीमती सुमिता शेखावत, रामावतार, पवन कुमार शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्रीमती सुमिता शेखावत की उक्त अचल सम्पति आवासीय मकान अहाता नं. 357, महिला पार्क, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि Ministry of Finance (Departmnet of Economic Affairs) (Banking Division) Notification New Delhi, the 10th November , 2003 के क्रम संख्या 11 पर प्रार्थी कम्पनी GRUH Finance Limited, Ahmedabad का नाम अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है इसलिए कम्पनी गृह फाईनेंस लिमिटेड को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता है।

जिला कलेक्टर
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी पवन सिंह शेखावत, सुमिता शेखावत, रामावतार, पवन कुमार शर्मा को 5,50,000 दिनांक 25.06.2013, 3,30,000 दिनांक 13.02.2016 एवं 6,70,000 दिनांक 13.04.2016 कुल 15,50,000/—रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुमिता शेखावत द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान अहाता नं. 357, महिला पार्क, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवंम शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **18.01.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 29.09.2017 भिजवाये गये,** जिसके अनुसार **पवन सिंह शेखावत एवं सुमिता शेखावत का नोटिस गौरव नाम के व्यक्ति पर, रामावतार सिंह का नोटिस नीरू कंवर पर एवं पवन कुमार शर्मा का नोटिस बबीता पर तामील होकर प्राप्त हुए,** जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस तामील के **बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक** की बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पति आवासीय मकान स्थित अहाता नं.** 357, महिला पार्क, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर **जो ऋणी सुमिता शेखावत के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 29.09.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 29.09.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी 1. पवन सिंह शेखावत, 2. सुमिता शेखवत, 3. रामावतार, 4. पवन कुमार के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप रजिस्टर्ड एडी पर प्राप्ति के हस्ताक्षर रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुमिता शेखावत पत्नी पवन सिंह शेखावत द्वारा बंधक रखी गई उक्त आवासीय सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी कम्पनी गृह फाईनंस लिमिटेड स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लैबोरेट्री, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

में रखी गई अचल सम्पत्ति **आवासीय मकान अहाता नं. 357, महिला पार्क, पुरानी आबादी, श्रीगंगागनर** जो कि ऋणी श्रीमती सुमिता शेखावत पत्नी पवन सिंह शेखावत के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। **इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त आवासीय सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद भदन नकाते)
जिला रजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर